वैश्वीकरण की तपिश और मानवाधिकार हनन

प्रा. अल्पना वैद्य, हिस्लॉप कॉलेज, नागपूर . e- mail : alpana.vaidya@yahoo.in

शोधपत्र का सारांश :–

बाजारोन्मुख, प्रतिस्पर्धात्मक और उन्मुक्त अर्थपद्धति के आधार पर संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ही धारा में प्रवाहित करना वैश्वीकरण कहलाता है ।

सन् 1981 के उपरांत वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधारों के लिए वैश्वीकरण की प्रणाली अपनाई गई। वैश्वीकरण का प्रभाव विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के अतिरिक्त वहॉ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी पडा । वैश्वीकरण ने विकसित एवं विकासशील देशों में मानव के अधिकारो को प्रभावित किया है । मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के कारण प्राप्त होते हैं, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय और सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो । मानवाधिकारों का संबंध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीने के लिए स्थितियॉ उत्पन्न करने से होता है ।

एक तरफ जहॉ विश्व में आर्थिक विकास के लिए उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाया जा रहा है, भारत भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखने व आर्थिक हितों के लिए, वैश्वीकरण का एक हिस्सा बन चुका है परन्तु साथ ही साथ उसे वैश्वीकरण से होने वाले दुष्प्रभावों से स्वयं को बचाना है।

निराला जी की इन पंक्तियों में भारत में मानवाधिकार पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर सटीक व्यंग्य है कि – खुला भेद विजयी कहाए हुए जो लहू दूसरों का पिए जा रहे हैं । वैश्वीकरण ने विकासशील राष्ट्रों को 'विकास' करने के लिए जिस मार्ग की ओर प्रशस्त किया, प्रेरित किया वह था – बाजारोन्मुखी, प्रतिस्पर्धात्मक व उन्मुक्त अर्थपद्धति ! अर्थात् संपूर्ण राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का संचालन सर्वानुमति से समान सिद्धांतों के आधार पर होना ही आर्थिक वैश्वीकरण है । इस आर्थिक वैश्वीकरण ने भारत की संस्कृति व मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का पहुॅचाया है । मानवाधिकार की अवधारणा के समक्ष चुनौतियॉ प्रस्तुत कर दी हैं जैसे – पर्यावरण असंतुलन, सामाजिक बिखराव, सांस्कृतिक व मानवीय मूल्यों का ह्रास, गरीबों के शोषण पर आधारित व्यवस्था का जन्म, बाल श्रम, महिला उत्पीड़न, श्रमिकों को मानवोचित सुविधाओं की अप्राप्ति, निर्धनता, बेराजगाारी, पुलिस यंत्रणा, उद्योगों व अस्पतालों में स्वस्थ मानवीय वातावरण की अनुपलब्धता इत्यादि सभी घटनाओं में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है ।

अतः आज आवश्यकता है मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्धन की । वैश्वीकरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा साथ ही कुशल शासन की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता, मानवाधिकार आयोग की सक्षमता, सेना व पुलिस की उचित भूमिका, स्वयंसेवी संगठनों, प्रेस व मीडिया का सकारात्मक निःसंदेह हमें वैश्वीकरण की तपिश से बचा सकेगा ।

मानवाधिकार और वैश्वीकरण

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है । भारतीय संविधान में ही नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा के लिए मूलाधिकारों की व्यवस्था की गई है । इसका मुख्य कारण है कि देश की जनता को विकास का समान अवसर किल सके जिससे वे विश्व के बदलते परिवेश में अपने जीवन स्तर को उच्च से उच्चतम बना सकें ।

मानवाधिकार का अर्थ :

मानवाधिकार से अभिप्राय उन अधिकारों से है, जो मानव समाज के विकास के लिए मूलभूत हैं तथा वे प्रत्येक मनुष्य को केवल इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि वह मानव है, यह मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनके अभाव में मनुष्य एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने में, स्वयं को असमर्थ पाता है ।

मानवाधिकार की अवधारणा का उद्‌विकास

विश्व में प्राचीनकालसे ही किसी न किसी रूप में मानवाधिकार की अवधारणा ने अपना स्थान बना लिया था । प्राचीन भारत में महाभारत के शान्ति पर्व में राजा के आचरण के बारे में कहा गया है । कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण बताया गया है । सम्राट अशोक ने कलिंग अभिलेख में प्रजा को संतान की तरह माना और अधिकारियों को जनता पर अत्याचार न करने का निर्देश दिया है ।

भारतीय परंपरा में; पुरातन काल से ही मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएॅ की गई हैं 'वसुधैव–कुटुंबकम्' का सार्वभौमिक सिद्धांत हमारी संस्कृति का मूल रहा है, जिसमें न केवल देश, बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों को एक ही परिवार का सदस्य माना गया है ।

मानवाधिकार की यह धारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शनैः शनैः बलवती होती गई । जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और उसमें आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन एक मानवाधिकार आयोग का गठन 1946 ई. में किया गया । 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जिसमें 30 धाराएँ हैं जिनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं । इस घोषणा की पहली व दूसरी धारा में यह स्वीकार किया गया है कि, '' मानव स्वतंत्र जन्म लेते हैं तथा गरिमा, सम्मान और विचारों में समान होते हैं ।''

भारत में मानवधिकार का इतिहास

भारत में मानव अधिकार के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है–

1. **प्राचीन भारत में मानवधिकार** :– मानव अधिकारों के संरक्षण का मूल भारत में वैदिक काण्ड के धर्म में पाया जाता है।

''सर्वे भवन्तु सुरिवनः
सर्वे सन्तु निरामया''

अर्थात सब के सुख की कामना की गई है। गीता में भी मानवधिकार का उल्लेख है – ''कर्मण्येवाधिकारस्ते'' अर्थात जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। अतः इससे भयभीत होकर लोग दुसरे के हितों को नष्ट नहीं करते थे, दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करते।

2. **मध्य भारत में मानवधिकार** :– मानवधिकार के दृष्टिकोन से अकबर का काल भारतीय इतिहास में नए युग की भारूवात है। अकबर ने मानव स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए 1562 में दासप्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी। और जजियाकर को समाप्त कर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। इस प्रकार मानवधिकारों की दिशा में सार्थक पहल की गई। भर्तुहरि, वात्सायन, कौटिल्य के राज्यों में भी मानव अधिकारों को मनुश्य का स्वाभाविक गुण धर्म बतलाया गया है। मनुस्मृति, नितिशास्त्र, कामसूत्र, अर्थशास्त्र आदि सभी ग्रन्थों में मानव अधिकारों की बात भिन्न भिन्न प्रसंगो में देखने को मिलती है।

3. **आधुनिक युग में मानवधिकार** :– भारत में मानव अधिकार द ान को आधुनिक रूप ब्रिटिश भाासन काली के दौरान प्राप्त हुआ। ब्रिटि ा भाासन ने भारत में विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को चलाया इनमें सुधार कार्यक्रमों से मानवाधिकार को बल मिला।

करांची अधिवे ान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति, सहचर्य, तथा समाहरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

हमारा संविधान मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति कटिबद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14–32) और निती निर्दे ाक तत्व (अनुच्छेद 35–51) के द्वारा मानवाधिकार संवृद्धि सुरक्षा आदि की गारंटी देता है।

भारत में स्वतंत्रता संग्राम मानवाधिकारों के संघर्ष की गौरवमय कहानी है । लोकमान्य तिलक ने अधिकारों की मॉग करते हुए कहा था – '' स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'' । वर्ष 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों ;थ्नदकंउमदजंस त्पहीजेद्ध मॉग की गई थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, मौलिक अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में अध्याय – 3 में इसकी व्यवस्था की गई साथ ही सुस्पष्ट व्याख्या भी की गई ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, प्रजाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो सके । इस प्रकार गॉधीजी के विचारों को भारतीय संविधान में स्थान दिया है क्योंकि गॉधीजी मानवता के लिए शोषणमुक्त समाज के प्रतीक थे । वे मानते थे कि किसी भी सभ्य और व्यवस्थित समाज में उस हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त काम होना चाहिए जो काम करना चाहता है, और सक्षम है, सम्मानित जीवन मानवाधिकार का पूरक है, जो तभी संभव है जब समाज में समानता हो, समानता मृत भी होती है, हमें जीवित समानता चाहिए, यह उसी समाज में हो सकती है जहॉ भूखों के हित को अमीरों के विकास से ज्यादा प्राथिमकता दी जाती है ।

भारत की संसद द्वारा 1993 ई. में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, धारा 2 ;घ में मानव अध्किार शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है – '' मानव अधिकार का तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में, सन्निहित व्यक्तियों को प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकारों से है जो भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है ।''

भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार पर वैश्वीकरण से पड़ने वाले प्रभाव या चुनौतियॉ :–

1- वैश्वीकरण में मशीनों व तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने कें कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ ती जा रही है । इससे मानव की प्राथमिक आवश्यकता, शुद्ध वातावरण में सांस लेने का, जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है ।

2- वैश्वीकरण के कारण निजी कंपनियों का भारत में आगमन होता जा रहा है इससे जहॉ एक ओर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर सरकारों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को सीमित किए जाने के कारण सरकारी नौकरियों में कमी होती जा रही है । जिससे नागरिकों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा में कमी आ रही है ।

3- आज भारत में विस्थापितों की समस्या बढ़ती रही है क्योंकि वैश्वीकरण ने अधिक से अधिक व बड़े उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है जिसके लिए एक बड़े भू–भाग की जरूरत होती है । इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में छोटे– छोटे गॉव व बस्तियों को हटाया जा रहा है । इससे नागरिकों का निवास करने का अधिकार प्रभावित हो रहा है ।

4- वैश्वीकरण ने महिला अधिकारों को भी प्रभावित किया है । आज भारतवर्ष की नारियॉ विश्वस्तर पर मिस वर्ल्ड जैसी प्रतियोगिताओं में तुलनात्मक रूप से पहले से कहीं ज्यादा विजयी होकर आ रही हैं इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारतवर्ष की ये महिलाऍं, विश्वस्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं; बल्कि अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है । साथ ही भारत को अपने उत्पाद की खपत करने के लिए एक dumpyard बनाया जा रहा है ।

वैश्वीकरण के कारण बेरोजगारी, निर्धनता में वृद्धि होने से आतंकवादी गतिविधियॉ बढ़ती जा रही हैं । इससे महिला – उत्पीड़न व बालश्रम जैसी घटनाऍं बढ़ती जा रही हैं ।

यद्यपि वैश्वीकरण ने यह संभव किया है कि आज विश्व के किसी भी देश के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दूसरे देशों में व्यापार करने तथा उद्योग लगाने में आसानी होती है; तथापि यह इसका दुष्परिणाम है कि भारत में बुद्धि पलायन;ठतंपद कतंपदद्ध बढ़ गया है व विदेशों में कार्यरत कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार किया जाता है । असमानता का यह निंदनीय व्यवहार, निःसंदेह मानवाधिकार का हनन है ।

उदारीकरण के दौर में; जो आधुनिक संस्कृति के नाम पर भौतिकवाद बढ़ रहा है उससे जहॉ जहॉ एक ओर उपभोक्ता संस्कृति Consumerism) बढ़ रहा है वहीं मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है ।

वैश्वीकरण के कारण कृषिगत राष्ट्रों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

कृषिप्रधान राष्ट्र के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था के आधार पर निश्चित कीमतों को अपनाऍं क्योंकि इसके कारण उन्हें अपने यहॉ किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम किया जाना अनिवार्य होता है । बाजार मूल्यों से मुकाबला न कर पाने के कारण एवं उन्नत किस्मों एवं औजारों के उपयोग न कर पाने के कारण भारतीय किसान दिन–प्रतिदिन पीछे होते जा रहे हैं ।

वैश्वीकरण ने मानव–स्वास्थ्य को भी आघात पहुॅचाया है । एक देश से दूसरे देश में खुले आवागमन के कारण, असाध्य बीमारियों के वायरस का प्रकोप भी दिन बदिन बढ़ता जा रहा है । भारत में भी स्वाइन फ्लू, एच.आई. वी.एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

वैश्वीकरण व निजीकरण ने जहॉ खुली व अस्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया है वहीं मनुष्य का मनुष्य के प्रति विश्वास को, कार्य के स्तर को गिराया है । निजी उद्योगों के मालिकों द्वारा एकाएक श्रमिकों को, या कर्मचारियों को कारखानों से निकाले जाने के कारण उनमें असुरक्षा की भावना पनपने लगी है । साथ ही कार्य के प्रति लगाव या अपनेपन में भी कमी होती जा रही है ।

वैश्वीकरण ने लोगों का दृष्टिकोण भौतिकवादी कर दिया है । असमय निकाले जाने के भय ने कार्य में ीनउंद जवनबी को जहॉ खत्म कर दिया है वहीं श्रमिकों के सामने आजीविका के साधनों समसया भी विकसित हो गई है ।

वैश्वीकरण ने विदेशी कंपनियों का आधिपत्य दिनप्रतिदिन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं पर भी बढ़ा दिया है जैसे – दवाईयॉ, जिससे भारत वर्ष की गरीब जनता, ग्रामीण जनता शहर निःशुल्क चिकित्सा के लिए आ जाते हैं परन्तु दवाइयों की कीमतें उनकी पहुॅच से बाहर होती जा रही हैं जिससे उनके जीवन जीने के अधिकार का हनन हो रहा है ।

वैश्वीकरण की तपिश से मानवाधिकारों का संरक्षण :–

मानवाधिकार की अवधारणा को वैश्वीकरण से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने के लिए आज आवश्यकता है सशक्त ठोस कदम उठाने की, व्यावहारिक निर्णय की तथा उन्हें सुचारू रूप से कार्यान्वित करने की । जब हम इस दुष्चक्र से निपटने के स्थाई समाधान की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम जनता को अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक होना होगा । ऐसे में ''शिक्षा'' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे नागरिकों में विद्यार्थी स्तर से ही अपने और अपने आस–पास के वातावरण के

प्रति जागरूता विकसित हो सके । जागरूक नागरिक ही अपने आस–पास होने वाले मानवाधिकार हनन के विरूद्ध आवाज उठाने का साहस जुटा सकेगा ।

आज आवश्यकता है ऐसी लोक–कल्याणकारी सरकारों की जो संविधान में व्यक्ति के अधिकारों में वृद्धि कर उन्हें अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करें । कुशल शासन की स्थापना हो जो भ्रष्टाचार व लालफीताशाही से दूर रहे ।

शासन व प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है । व्यावहारिक नीतियों का निर्धारण व उनका सफल क्रियान्वयन जिससे गरीबों की जमीन का अधिग्रहण न हो, विस्थापितों का पुनर्वास हो सके ।

प्रशासन; विशेषकर पुलिस व सेना की उचित भूमिका होनी चाहिए । मानवाधिकारों के हनन का विरोध करने वालों पर पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए ।

स्वयंसेवी स्वैच्छिक संगठनों व समाजसेवियों द्वारा आंदोलन, सम्मेलन व सामूहिक प्रदर्शन आदि के माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण का कार्य किया जाता है जैसे – बाल अधिकार आंदोलन, महिला अध्किार आंदोलन, पर्यावरण संरक्ष्ण आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा घाटी आंदोलन, दलित आंदोलन आदि ।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता भी मानवाधिकार संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है । जिससे सरकार की नीतियों की सही व्याख्या हो सके साथ ही सरकार पर भी नियंत्रण रहे । '' सूचना के अधिकार'' व '' जनहित याचिका (RTI & PIL) के उचित प्रयोग व इसके सफल क्रियान्वयन से भी मानवाधिकार को वैश्वीकरण के दुष्चक्र से बचाया जा सकता है ।

अंत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रेस या मीडिया तथा जनसंचार के अन्य साधनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है । चाहे वह बी टी कॉटन का मामला हो, जेनेटिक क्राप, तेल रिसाव, टाइगर बचाओ––––– इत्यादि कोई भी मानव या उसके आस–पास के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित मामला हो, मीडिया; सदैव से यह मुद्दा, सरकार के समक्ष रख रहा है, उनका प्रचार, प्रसार कर रहा है, सरकार का ध्यान खींच रहा है । सिर्फ मुद्दे ही नहीं उठा रहा है बल्कि मूवमेंट ;आंदोलनद्ध भी चला रहा है । आम आदमी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है । आज आवश्यकता है प्रसार के अन्य माध्यमों की जिससे अधिक से अधिक जनता इस मुद्दे से अतिशीघ्रता से जुड़ सके तभी यह मुहिम सफल हो सकेगी ।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के इस युग में जहॉ प्रतिस्पर्धा, बाजारीकरण, भौतिक सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं वहीं आज इसकी आवश्यकता बढ़ गई है कि एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य की जरूरत को समझे व सम्मान करे । वैश्वीकरण, निजीकरण, तरक्की के नाम पर होने वाले प्रकृति के दोहन से बचे ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- फड़िया डॉ. बी.एल. भारत में लोकतंत्र , कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल

2- सिंह डी.पी. मानवाधिकार और दलित , शक्ति पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, विश्वभारती पब्लिकेशन्स

3- नरूला बी.सी. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था , अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

4- Gupta K.R. " Libralisation and Globalisation of Indian Economy ",Atlantic Publishers, New Delhi

5- Kumar "Narain's" : Political Sociology , Laxmi Narayan Agarwal